14-7-25 ... प्रकरण

मे उभय पक्ष बहस हेतु अवसर चाहते है अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र दिनांक 13-8-25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

13-8-25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 04 जा.दी. व धारा 05 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई, प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि विपक्षी स.1 चांदी बाई का स्वर्गवास दिनांक 9-11-24 को हो गया है। मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत प्रा.पत्र समय अवधि मे इसलिए प्रस्तुत नही किया जा सका क्योंकि प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश की होकर वृद्ध अनपढ होने से अपने अधिवक्ता को समय पर सूचित नही कर सकी। जानबूझ कर देरी नही की है। मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने मे अधिक व्यतित हुई देरी को न्यायहित मे क्षमा किये जाने बाबत अलग से धारा 05 मियाद अधि. का प्रा.पत्र प्रस्तुत है। अत: प्रार्थी का प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 04 जा.दी. का स्वीकार फरमाया जाकर विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से किया है कि प्रार्थीया स्वयं मृतक विपक्षी स.1 चांदी बाई की करीबी रिश्तेदार है। मृतक विपक्षी स.1 के निधन की जानकारी मृत्यु दिनांक से ही है। प्रार्थीया ने प्रा.पत्र विलम्ब से पेश कर झूठा कारण अंकित किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रा.पत्र मे विपक्षी स.1 का दिनांक 09-11-2024 को निधन होना बताया है जबकि प्रा.पत्र दिनांक 24-3-25 को पेश किया गया है। जिससे साबित होता है कि प्रा.पत्र अवधि बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अत: प्रार्थीया का प्रा.पत्र आदेश 22 नि. 04 जा.दी. का

का प्रप २२.

| न | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| | खारिज किया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने पर वकील प्रार्थी ने दिनांक 25-11-24 को विपक्षी स-1 चांदीबाई की मृत्यु होने की सूचना न्यायालय मे दि गई थी। और कायम मुकाम प्रा-पत्र पेश करने का अवसर चाहा गया था। उसके पश्चात कायम मुकाम प्रा-पत्र पेश करने हेतू दो अवसर लेने के पश्चात दिनांक 24-3-25 को प्रा-पत्र आदेश 22 नि-04 जा-दी का पेश किया गया। जिसे लगभग चार माह यानि 120 दिन पश्चात पेश किया है, जबकि CPC के प्रावधानो के अनुसार मृत्यु की जानकारी होने से 90 दिन की समय अवधि के अन्दर प्रा-पत्र आदेश 22 नि-04 जा-दी के तहत पेश किया जाना होता है। प्रा-पत्र आदेश 22 नि-04 CPC के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होता है, जो नही किया है। उक्त प्रा-पत्र के साथ प्रा पत्र धारा 05 मियाद अधि- का पेश किया है। उसमे भी प्रार्थी ने प्रति दिन विलम्ब होने का कोई ठोस कारण अंकित नही किया है।<br>प्रकरण मे विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा-पत्र आदेश 22 नि-04 जा-दी का अवलोकन करने पर पाय कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीया चांदीबाई की मृत्यु दिनांक 9-11-24 का अंकन किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र दिनांक 24-3-25 को पेश किया हुआ है। जो विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर पुंव विलम्ब का कोई ठोस कारण का अंकन नही किये जाने से प्रा-पत्र आदेश 22 नि-04 जा-दी का खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।<br>अतः प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा-पत्र आदेश 22 नि-04 जा-दी का खारिज किया जाता है। साथ ही विपक्षी स-5 चांदी की मृत्यु होने से तथा उसके विधिक वारिसान को यथा समय रिकार्ड पर नही लिये जाने से प्रा-पत्र अ-धा- 91 L.R.A बाबत स्थगन का अबेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |